



CITIZEN CHARTER

OF

National Institute of Plant Health Management(NIPHM)

Department of Agriculture & Cooperation

Ministry of Agriculture

Government of India

Telephone: 9140-24015374 e-mail: niphm@.nic.in Tele-Fax: 9140-24015346

Rajendra Nagar Hyderabad – 500 030 http://.niphm.gov.in

Citizen's Charter of NIPHM

1. What is NIPHM

- 1.1Central Plant Protection Training Institute (CPPTI) was established in 1966, and later renamed as National Plant Protection Training Institute (NPPTI), for Human Resource Development in Plant Protection Technology. The Institute was identified as a Regional Training Centre for Plant Protection by the FAO of the United Nations and as a Centre of Excellence for Training in Plant Protection Technology under the World Bank aided NAEP-III. NPPTI was converted into an autonomous body viz. National Institute of Plant Health Management (NIPHM) in the year 2008 to meet the emerging training needs in environmentally sustainable plant health management with focus on bio security management, and function as policy support centre.
- 1.2 Human resource development, both in public and private sector, covering areas, inter-alia, of plant protection technology, plant quarantine and bio-security, crop oriented Integrated Pest Management approaches, quality testing of pesticides, and analysis of pesticide residues for monitoring the quality status of pesticides.
- 1.3 Develop systematic linkages between state, regional, national and international institutions of outstanding accomplishments in the field of Plant Protection Technology.
- 1.4 Function as Nodal Agency/Forum for exchange of latest information on plant protection technology.
- 1.5 Collect and collate information on plant protection technology for dissemination among the state extension functionaries and farmers.
- 1.6 Gain overall insight into Plant Protection Systems and Policies together with operational problems and constraints at each step and stage.
- 1.7 Identify, appreciate and develop modern management tools/techniques in problem-solving approaches and utilizing the mechanism of personnel management, resource management, input management and finally conflict management at the organization level

- 1.8 Develop need-based field programmes for training and re-training of senior and middle level functionaries for executing plant protection programmes and using training of trainer approaches to ensure maximum reach of programmes.
- 1.9 Provide feedback to training programmes, conduct programme-oriented research in the area of Plant Protection, Integrated Pest Management, Pesticide Management, Plant Quarantine and Pesticide delivery systems and residues.
- 1.10 Serve as repository of ideas and develop communication and documentation services at national, regional and international level, in regard to the subject of plant protection management.
- 1.11 Forge linkages with national and international institutions, and create networks of knowledge sharing, through a programme of institutional collaboration and employment of consultants.
- 1.12 Provide policy support to the Central Government in various sectors of plant protection including IPM, pesticide management, plant quarantine, bio-security, SPS and market access issues

2. Vision

The vision of NIPHM is to emerge as an internationally acclaimed Centre of Excellence for promoting environmentally sustainable Plant Health Management practices in diverse and changing agro-climatic conditions and to provide Policy Support with focus on Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) issues and emerging Bio-security Challenges.

3 Mission

The mission is to play a crucial role in enhancing agricultural production addressing the emerging challenges in the field of Plant Health Management by assisting the Government of India, the States, and other stake holders through the core role of Teaching, Training, Research, Certification & Accreditation, and Policy Support on SPS issues and Bio-security challenges within national and international contexts.

4. Activities:



In order to carry forward the activities as per its Mission the Institute has four major technical divisions

- a) Plant Health Management Division
- b) Plant Biosecurity Division
- c) Pesticides Management Division
- d) ICT Division.

NIPHM also specializes in Plant Health Engineering and Vertebrate Pest Management. Each of the Divisions is headed by a Director and assisted by scientific personnel and supported by Administration Section headed by a Registrar.

As part of its mandate the different activities of the Institute are:

- I. Educational programmes
- II. Capacity building programmes
- III. Training programmes for officials of DPPQ&S
- IV. Research, Consultancy and Policy support

5. Main Services:

| SI. No. | Service | Clientele | Standards | Fees | | |
|------------|--|---|--|--|--|--|
| 1 | Training (A) Post Graduate Diploma | Fresh agricultural graduates as well as in-service personnel in the field of Plant Health Management | Curriculum and Schedule approved by Academic Committee comprising of experts in | Rs.1,25,000 + Boarding & Lodging charges for fresh graduates No fees for in- service personnel | | |
| | Diploma Courses in Plant Health Management | Graduates in Agriculture/Horticultu re/Life Sciences/Agricultural Engineering//Agricult ure & Rural Development/Commer cial Agriculture & Business management, etc. | the field and subsequently approved by Executive Council & General Council of NIPHM. | subsequently approved by Executive Council & General Council of NIPHM. | subsequentl y approved by Executive Council & General Council of | Rs.25,000 + Boarding & Lodging charges |
| | (B) Short term Training Programmes in the areas of Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering. | Central & State Governments, SAUs, ICAR institutions PSUs, Autonomous bodies, NGOs, Private sector & farmers. | reviews as well as feed back based evaluation for programmes to enable regular upgradation as per requirement s of the clientele | No fees for regular programmes for permanent employed central & state governments & scientists of SAUs& ICAR institutes. For special programmes & others — ranges from Rs.1000 to 5000 per day as per programme. | | |
| | (C)Special Programmes on Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering. | Central & State Governments, Public Sectors, NGOs, and Farmers | incorporating advances in the field. | No fees for regular programmes for permanent employed central & state governments & scientists of SAUs& ICAR institutes. For special programmes & others – ranges from Rs.1000 to 5000 per day as per programme. | | |
| 2 | Research In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity. | | | nil | | |

| 3 | Consultancy In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity. | Various Central & State Organizations including SAUs, Public & Private & Sectors | As per terms & conditions |
|---|---|--|---------------------------|
| 4 | Policy & Support In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity. | Central & State Governments. | nil |

6. Service Standards

| SI. | Services/ Transactions | Service Standards | Success | Data Source |
|-----|---|--|---|---|
| No. | | | Indicators | |
| 1 | Training (A) Post Graduate Diploma & other Diploma Courses in Plant Health Management (B) Short term Training Programmes in the areas of Plant Health Management, Plant Bio- security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering. (C) Special Programmes on Plant Health Management, Plant Bio- security, Pesticide Management, Plant Bio- security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering. | Curriculum and Schedule approved by Academic Committee of NIPHM comprising of experts in the field. Periodical reviews as well as feed back based evaluation for programmes to enable regular upgradation as per requirements of the clientele incorporating advances in the field | No. Of Training Programmes conducted and no. Of persons trained as indicated in the EFC Memo of 12 th Five Year Plan | NIPHM Records and as per EFC Memo of 12 th Five Year Plan |
| 2 | Research In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity. | Publications, patents, etc | Technology adaption by different stake holders | NIPHM Records |
| 3 | Consultancy In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity. | As per TOR | As per TOR | Consultancy Report |

| 4 | Policy & Support | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | In the areas of Plant | | Acceptance of | Government orders |
| | Health Management, | | policy proposal | |
| | Biocontrol, Plant Health | | by DAC | |
| | Engineering, Vertebrate | - | | |
| | Pest Management and | | | |
| | Biosecurity. | | | |

7. Responsibility Centres:

| SI. | Responsibility Centre | Landline | Email | Address |
|-----|-----------------------------|--------------|----------------|------------------|
| No. | | Number | | |
| | Head of Organization | 040-24015346 | dgniphm@nic. | NIPHM, |
| 1 | (Director General) | | in | Rajendranagar, |
| | | | | Hyderabad-500030 |
| | Plant Health Management | 040-4015932 | dirphmniphm- | -do- |
| 2 | Division | | ap@nic.in | |
| 3 | Pesticide Management | 040-24010106 | dirpmniphm- | -do- |
| | Division | | ap@nic.in | |
| 4 | Plant Bio-security Division | 040-24018788 | dirpbdniphm- | -do- |
| | • | | ap@nic.in | |
| 5 | Administration(Registrar) | 040 24013346 | registrarniphm | |
| | <u> </u> | | @nic.in | -do- |
| 6 | Plant Health Engineering | 040-24015043 | jdenggniphm- | |
| | g g | | ap@nic.in | -do- |
| 7 | ICT Division | 040-24012053 | dbaniphm- | |
| | | | ap@nic.in | -do- |
| 8 | Vertebrate Pest Management | 040-24015053 | adrpmniphm- | -do- |
| | Division | | ap@nic.in | |

8.List of Stake Holders:

| SI. | Stakeholders |
|-----|--|
| No. | |
| 1 | Officers of Central & State Governments |
| 2 | Public Sectors |
| 3 | Krishi Vigyan Kendras, Private Sectors |
| 4 | Students of State Agricultural & Horticultural Universities |
| 5 | Scientists of ICAR, SAUs', Dept. Of Agriculture & Cooperation, State Departments |
| | of Agriculture, Directorate of PPQ & S other research organizations. |
| 6 | Farmers |

9. Grievance Redress:

| S. | Name of the Public Grievance | Helpline | Email |
|----|------------------------------|--------------|-----------------------|
| No | Officer | · | |
| 1 | Registrar | 040 24013346 | registrarniphm@nic.in |

10. Indicative Services – The focus of NIPHM is to

| 1 | Organiza Training Programmos in Sustainable Agriculture Practices Crop assoific Agric |
|----------|---|
| | Organize Training Programmes – in Sustainable Agriculture Practices, Crop specific Agro |
| | Ecosystem Analysis (AESA) based Plant Health Management (PHM) in conjunction with |
| | Ecological Engineering for Pest Management, On farm production of Biocontrol agents and |
| | Micorbial Biopesticides, to promote AESA based PHM in conjunction with |
| | Ecological Engineering for Pest Management, Integrated Soil Nutrient and Weed |
| | Management, , Safe& Judicious Use of Pesticides. |
| 2 | i) Promote adoption & popularization of Good Agricultural Practices, Farmers Field School |
| | Methodologies |
| | ii) Organize training programmes of shorter duration (3-5 days) for progressive farmersf or |
| | promotion of bio intensive pest management strategies and for empowerment of farmers in |
| | decision making through experiential learning. |
| 3 | Develop and promote low cost farmer friendly products and technologies. |
| 4 | i) Build capacity in Bio security and Incursion Management, Pest Risk Analysis and |
| ' | Emergency Preparedness & Incursion Management in India and neighbourhood |
| | ii) Improve capacity for surveillance, storage pest detection, identification and management, |
| | |
| | creating SPS awareness, phytosanitary treatments, and Forced hot air treatment. |
| 5 | Organize International programmes on Pest Risk Analysis, Biosecurity & Incursion |
| | Management, Regional Plant Health System Analysis, Sanitary and Phytosanitary |
| | Awareness Workshops for officials of South Asian countries. Pesticide Registration & |
| | Inspection procedures, Plant Quarantine and Phytosanitary measures. |
| 6 | i) Organize mandatory training for Pesticide residue and formulation analysis, Laboratory |
| | Quality System Management and Internal Audit as per ISO/IEC 17025-2005, Calibration of |
| | glassware and Laboratory Equipment. |
| | ii) Organize training in sampling & Inspection of pesticides / biopesticides for Quality |
| | Control and Detection of spurious products. |
| | iii) Monitor pesticide residues in agricultural commodities at National Level. |
| | iv) Provide consultancy in NABL accreditation of PTLs of State Governments. |
| 7 | Organize exclusive Training Programmes for Officers of DPPQ&S, Induction Training |
| | Programme for new Recruits and Transferees of DPPQ&S, Refresher Training |
| | Programmes in Plant Biosecurity. |
| 8 | Organize induction training programmes for the newly recruited Officials of State |
| | Agriculture / Horticulture Departments of different State Governments. |
| 9 | Provide inputs for new policy initiatives of DAC in the areas of Plant Health Management, |
| <i>j</i> | |
| 1.0 | Biosecurity & Incursion Management, and Pesticide Management. |
| 10 | Disseminate latest advancements among the agricultural students and Scientists of SAUs / |
| | ICAR, and among the Agricultural Extension Officers & in turn to farmers by the Master |
| l l | Trainers through training programmes / seminars/ workshops / exhibitions. |

11. For any redressal contact Nodal Officer:

Nodal Officer: Registrar, National Institute of Plant Health Management, Rajendranagar, Hyderabad- 500 030.Phone No. 040 24013346; email: registrarniphm@nic.in





नागरिक चार्टर CITIZEN CHARTER

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF PLANT HEALTH MANAGEMENT (NIPHM)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

दूरभाष : 9140-24015346, 24011633

ई-मेल : <u>niphm@nic.in</u> टेली-फैक्स : 9140-24015346 राजेन्द्रनगर,

हैदराबाद-500 030 http://.niphm.gov.in

रावस्वाप्रसं (एनआईपीएचएम) के नागरिक चार्टर

1. रावस्वाप्रसं क्या है?

- 1.1 केंद्रीय पौध प्रशिक्षण संस्थान (सीपीपीटीआई) वर्ष 1966 में पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के तहत पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु स्थापित किया गया था। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कृषि विभागों और केंद्र सरकार में सक्षम पीड़क प्रबंधन कर्मी तैयार करना था, जो कृषकों को कृषि-संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना ॥ के अंतर्गत संस्थान को खाद्य और कृषि संगठन(एफएओ) द्वारा क्षेत्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने हेतु उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। पर्यावरणीय सतत् वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की जरूरतों एवं जैवसुरक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने सहित तथा केंद्रीय नीति सहयोग के तौर पर कार्यों को देखते हुए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (एनपीपीटीआई) को एक स्वायत्त निकाय के तौर पर मान्यता मिली एवं इस संस्थान का पुनर्नामकरण करते हुए राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान(एनआईपीएचएम) बना।
- 1.2 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी, वनस्पति संगरोध एवं जैवसुरक्षा, फसल आधारित समेकित पीइक प्रबंधन प्रणालियों और पीइकनाशी गुणवत्ता परीक्षण तथा गुणवत्ता स्तर निगरानी हेतु पीइकनाशी अवशेष विशलेषण आदि व अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास करना।
- 1.3 वनस्पति संरक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट प्रणालियों को राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच स्नियोजित सम्बंध विकसित करना।
- 1.4 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी पर नवीनतम सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु नोडल एजेंसी/संगोष्ठी के रूप में कार्य करना।
- 1.5 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी संबधी सूचनाओं को एकत्रित और व्यवस्थित कर राज्य विस्तार कर्मियों और किसानों को जानकारी मुहैया करवाना।
- 1.6 पौध संरक्षण प्रणालियों तथा नीतियों के साथ-साथ प्रत्येक चरण पर आनेवाली परिचालनात्मक समस्याओं और अड़चनों पर गहन प्रकाशन डालना।
- 1.7 समस्याओं के तकनीकी समाधान हेतु आधुनिक प्रबंधन शैली व तकनीकी पहचान, उसका मूल्यांकन करना और विकसित करना तथा उसका उपयोग कार्मिक प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, आदान प्रबंधन एवं संगठनात्मक स्तर पर असंगत प्रणाली को सुलझाए जाने हेतु प्रबंधन करना।
- 1.8 वनस्पति संरक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मध्यम तथा विरष्ठ स्तर के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण तथा पुन:प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। कार्यक्रमों की अधिकतम पहुंच स्निश्चित करने के लिए 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' तरीका अपनाना।
- 1.9 वनस्पति संरक्षण, समेकित पीड़क प्रबंधन, पीड़कनाशी प्रबंधन, वनस्पति संगरोध तथा पीड़कनाशी वितरण प्रणालियों व अवशेषों के क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्रदान करना व कार्यक्रम-आधारित अन्संधान करना।

- 1.10 वनस्पति संरक्षण प्रबंधन विषय के संदर्भ में सूचना, विचारों के संग्रह के रूप में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार सेवाओं का विकास और प्रलेखीकरण करना।
- 1.11 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य सहलग्नता स्थापित करना और संस्थागत सहयोग एवं परामर्शदाताओं के माध्यम से साझेदारी व ज्ञान सृजन नेटवर्क बनाना।
- 1.12 वनस्पति संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के लिए समेकित पीड़क प्रबंधन (आईपीएम), पीड़कनाशी प्रबंधन, वनस्पति संगरोध, जैव-सुरक्षा, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) तथा विपणन अधिगम आदि मुद्दों पर नीति सहयोग व कार्य करना।

2. दृष्टि

वनस्पति संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के लिए समेकित पीड़क प्रबंधन (आईपीएम), पीड़कनाशी प्रबंधन, वनस्पति संगरोध, जैव-सुरक्षा, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) तथा विपणन अधिगम आदि मुद्दों पर नीति सहयोग व कार्य करना।

3. मिशन

शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रमाणीकरण, मान्यता, एसपीएस मुद्दों पर नीति समर्थन तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में उत्पन्न जैव-सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की मुख्य भूमिका द्वारा भारत सरकार, राज्यों और अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) की सहायता करते हुए वनस्पित स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को चिन्हित करने व कृषि-उत्पाद बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

4. गतिविधियां



संस्थान के मिशन के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों के संचालन के लिए चार प्रमुख तकनीकी प्रभाग है :-

- क) वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान प्रभाग
- ख) पादप जैवस्रक्षा प्रभाग
- ग) पीड़कनाशी प्रबंधन प्रभाग
- घ) आईसीटी प्रभाग

इसके अलावा, रावस्वाप्रसं वनस्पित स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं कशेरूकी पीड़क प्रबंधन क्षेत्रों में विशेषज्ञता संबंधी क्रियाकलापों का संचालन भी करता है। प्रत्येक प्रभाग में निदेशक है एवं उनके संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु वैज्ञानिक कर्मियों द्वारा सहयोग की जाती हैं तथा प्रशासन अनुभाग के प्रमुख रजिस्ट्रार है। संस्थान के अपने विभिन्न अनिवार्य गतिविधियां हैं:

- शैक्षणिक कार्यक्रम
- II. क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- III. डीपीपीक्यू एवं एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- IV. अनुसंधान, परामर्शी एवं नीति सहयोग

5. मुख्य सेवाएं

| _ ગ. નુ | ५. मुख्य सवाए | | | | | |
|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| क्र.सं. | सेवा | कर्मी/अभ्यर्थी | मानक | शुल्क | | |
| 1. | प्रशिक्षण | नये कृषि स्नातक | फील्ड विशेषज्ञों के | नये स्नातकों के | | |
| | (क) स्नातकोत्तर डिप्लोमा | सहित वनस्पति | विचार-विमर्श पर | लिए रू. 1,25,000 | | |
| | | स्वास्थ्य प्रबंधन | अकादमी समिति | + भोजन एवं | | |
| | | क्षेत्र में कार्यरत् | द्वारा अनुमोदित | आवास। सेवारत् | | |
| | | सेवाकर्मी | पाठ्यक्रम एवं | कर्मचारियों के लिए | | |
| | | | अनुसूची एवं | नि:शुल्क | | |
| | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वनस्पति | कृषि/बागवानी/जीव | रावस्वाप्रसं के | | | |
| | स्वास्थ्य प्रबंधन में) | विज्ञान/कृषि | कार्यकारी परिषद् | भोजन एवं आवास | | |
| | | अभियांत्रिकी/कृषि | एवं महापरिषद् | | | |
| | | एवं ग्रामीण विकास | , , | | | |
| | | /वाणिज्यिक कृषि | | | | |
| | | एवं व्यवसाय | कर्मियों द्वारा लिये | | | |
| | | प्रबंधन आदि में | | | | |
| | | स्नातक | मूल्यांकन कर एवं | | | |
| | (ख) लघु अवधि वाले प्रशिक्षण : | | | | | |
| | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप | | समीक्षा के आधार | | | |
| | जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, | • | पर फील्ड के | सरकार, राज्य | | |
| | कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं | आईसीएआर | संबंधित कर्मियों | सरकारों एवं राज्य | | |
| | वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | संस्थानों, पीएसयू, | के आवश्यकता | सरकारों एवं | | |
| | | स्वायत्त निकायों, | 5 | आईसीएआर | | |
| | | | का निरंतर अपग्रेड | संस्थानों के स्थायी | | |
| | | एवं निजी क्षेत्रों एवं | करना। | कर्मचारियों एवं | | |
| | | किसानों | | वैज्ञानिकों के लिए | | |
| | | | | नि:शुल्क। विशेष | | |
| | | | | एवं अन्य कार्यक्रमों | | |
| | | | | के लिए 1000/- से | | |
| | | | | 5000/-प्रतिदिन/प्रति | | |
| | | | | कार्यक्रम के अनुसार | | |

| | (ग) वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप जैवसुरक्षा, पीइकनाशी प्रबंधन, कशेरूकी पीइक प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियात्रिकी संबंधी विशेष कार्यक्रम | सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों, एनजीओ एवं | नियमित कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं राज्य सरकारों एवं राज्य सरकारों एवं आईसीएआर संस्थानों के स्थायी कर्मचारियों एवं वैज्ञानिकों के लिए नि:शुल्क। |
|----|--|---|--|
| | | | कार्यक्रमा क लिए क. 1000/- से 5000/- तक प्रतिदिन प्रत्येक कार्यक्रम के अनुसार |
| 2. | अनुसंधान वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में | | शून्य |
| 3. | परामशीं वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में | सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, | निबंधन एवं शर्तों के अनुसार |
| 4. | नीति एवं सहयोग वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में | केंद्र एवं राज्य सरकारों | शून्य |

6. मानक सेवाएं

| क्र.सं. | सेवाएं/लेन-देन | मानक सेवाएं | सफल संकेतक | आंकड़ा स्त्रोत |
|---------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | (क) स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं | फील्ड विशेषज्ञों के | बारहवीं पंचवर्षीय | |
| | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में | विचार-विमर्श | योजना के ईएफसी | अभिलेखों एवं 12वीं |
| | अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम | आधार पर | ज्ञापन में यथा | पचंवर्षीय योजना के |
| | | रावस्वाप्रसं के | उल्लिखित संचालित | ईएफसी ज्ञापन के |
| | (ख) लघु अवधि वाले प्रशिक्षण : | अकादमी समिति | प्रशिक्षण कार्यक्रमों | अनुसार |
| | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप | द्वारा अनुमोदित | की सं. एवं | |
| | जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, | पाठ्यक्रम एवं | प्रशिक्षित कर्मियों | |
| | कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं | अनुसूची। विभिन्न | की सं. | |
| | वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | कर्मियों द्वारा लिये | | |
| | | गए फीडबैकों का | | |
| | (ग) वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, | '` | | |
| | पादप जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी | | | |
| | प्रबंधन, कशेरूकी पीड़क प्रबंधन | | | |
| | एवं वनस्पति स्वास्थ्य | पर फील्ड के | | |
| | अभियात्रिकी | संबंधित कर्मियों | | |
| | | के आवश्यकता | | |
| | | अनुसार कार्यक्रमों | | |
| | | का निरंतर अपग्रेड | | |
| | | करना। | | |
| 2. | अनुसंधान | प्रकाशन, पेटेन्ट | | रावस्वाप्रसं अभिलेख |
| | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, | आदि | द्वारा अपनायी गई | |
| | जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य | | प्रौद्योगिकी | |
| | अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क | | | |
| | प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में | | | |
| | क्षित्राम | | | |
| 3. | परामर्शी | टीओआर के | टीओआर के | परामर्शी रिपोर्ट |
| J. | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, | · | | परामरा। रिपाट |
| | जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य | अनुसार | अनुसार | |
| | अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क | | | |
| | प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित | | | |
| | क्षेत्रों में | | | |
| | WIN VI | | | |
| 4. | नीति एवं सहयोग | | डीएसी द्वारा | सरकारी |
| | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, | | स्वीकृत नीति | |
| | जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य | | प्रस्ताव | , |
| | | | | |
| | अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीडक | | | |
| | अभियांत्रिकी, कशेरूकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवस्रक्षा संबंधित | | | |

7. उत्तरदायी केंद्र

| सं. | उत्तदायी केंद्र | टेलिफोन नं. | ई-मेल | पता |
|-----|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| 1. | संस्थान के प्रमुख | 040-24015346 | dgniphm@nic. | एनआईपीएचएम |
| | (महा निदेशक) | | in | राजेन्द्रनगर, |
| | | | | हैदराबाद-500 030 |
| 2. | वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन | 040-24015932 | dirphmniphmap@ nic.in | वही |
| | प्रभाग | | THC.III | |
| 3. | पीड़कनाशी प्रबंधन प्रभाग | 040-24018788 | dirpmniphmap@ | वही |
| | | | nic.in | |
| 4. | पादप जैवसुरक्षा प्रभाग | 040-24013346 | dirpbdniphmap@ | वही |
| | | | nic.in | |
| 5. | प्रशासन (रजिस्ट्रार) | 040-24013346 | registrarniphm | वही |
| | | | @nic.in | |
| 6. | वनस्पति स्वास्थ्य | 040-24015043 | jdenggniphmap@ | वही |
| | अभियांत्रिकी | | nic.in | |
| 7. | आईसीटी प्रभाग | 040-24012053 | dbaniphmap@ | वही |
| | | | nic.in | |
| 8. | कशेरूकी पीड़क प्रबंधन प्रभाग | 040-24015053 | adrpmniphmap@ | वही |
| | | | nic.in | |

8. अंशधारकों की सूची

| क्र.सं. | अंशधारक | | |
|---------|--|--|--|
| 1. | केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों | | |
| 2. | सार्वजनिक क्षेत्रों | | |
| 3. | कृषि विज्ञान केंद्रों एवं निजी क्षेत्रों | | |
| 4. | राज्य कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के छात्रों | | |
| 5. | आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राज्य के कृषि विभागों, | | |
| | पीपीक्यू एवं एस निदेशालय एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों | | |
| 6. | किसान | | |

9. शिकायत निवारण

| क्र.सं. | लोक शिकायत अधिकारी का नाम | हेल्पलाइन | ई-मेल |
|---------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. | रजिस्ट्रार | 040 24013346 | registrarniphm@nic.in |

10. सांकेतिक सेवाएं - रावस्वाप्रसं (एनआईपीएचएम) अपनी सेवाएं निम्न बिंदुओं पर केंद्रित करता है :

- 1. प्रशिक्षण क्रायक्रमों का आयोजन : सतत् कृषि अभ्यास, पीइक प्रबंधन हेतु पारिस्थितिकीय अभियांत्रिकी के संयोजन से फसल विशिष्ट कृषि पारिस्थितिक विश्लेषण आधारित वनस्पित स्वास्थ्य प्रबंधन (पीएचएम), पीइक प्रबंधन हेतु पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी के संयोजन के साथ एईएसए आधारित पीएचएम को बढ़ावा देने के लिए जैवएजेंटों एवं माइक्रोबियल जैवपीइकनाशियों का ऑन फॉर्म उत्पादन, एकीकृत मृदा पोषक तत्व एवं खरपतवार प्रबंधन एवं सुरक्षित एवं उचित तरीके से पीइकनाशियों का इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 2. i) उचित कृषि संबंधी अभ्यासों, कृषक खेत पाठशाला पद्धति
 - ii) प्रगतिशील किसानों के लिए लघु अविध (3-5 दिवसीय) की प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन या बायोइंटेन्सिव गहन पीड़क प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देना एवं प्रायोगिक शिक्षण के जिरए किसानों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
- 3. किसान हितैषी कम कीमत वाली उत्पादों एवं प्रौदयोगिकी विकसित करना एवं बढ़ावा देना।
- 4. i)भारत एवं पड़ोसी देशों में जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन, पीड़क जोखिम विश्लेषण एवं आपात हेतु पूर्वतैयारी एवं आक्रमण प्रबंधन में क्षमता निर्माण करना। ii)निगरानी, संग्रहण पीड़क जांच, पहचान एवं प्रबंधन, एसपीएस के जागरूकता, पादपस्वच्छता उपचार
 - ii)निगरानी, संग्रहण पीड़क जांच, पहचान एवं प्रबंधन, एसपीएस के जागरूकता, पादपस्वच्छता उपचार एवं फोर्सड् हॉट एयर ट्रिटमेंट संबंधी कार्यक्रम में क्षमता सुधार।
- 5. दक्षिण एशियाई देशों के अधिकारियों के लिए पीड़क जोखिम विश्लेषण, जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन, क्षेत्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रणाली विश्लेषण, सफाई एवं पादपस्वच्छता से संबंधित जागरूकता कार्यशाला आदि अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना।
- 6. i)पीड़कनाशी अवशेष एवं सूत्रीकरण विश्लेषण, प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन एवं आईएसओ/आईईसी 17025-2005 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा तथा ग्लासवेयर एवं प्रयोगशाला उपकरण संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
 - ii) कृत्रिम उत्पादों की गुणवत्ता, नियंत्रण एवं जांच के लिए पीड़कनाशियों/जैवपीड़कनाशियों के नमूने एवं निरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
 - iii) राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सामग्रियों के पीड़कों की निगरानी।
 - iv)राज्य सरकारों के पीटीएलों के एनएबीएल प्रत्यायन में परामर्श प्रदान करना।
- 7. डीपीपीक्यू एवं एस के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीपीपीक्यू एवं एस के नवनियुक्त किर्मियों एवं स्थानांतिरयों के लिए प्रेरण कार्यक्रम एवं पादप जैवसुरक्षा में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- 8. राज्य सरकारों के विभिन्न राज्य कृषि/बागवानी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- 9. वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन एवं पीड़कनाशी प्रबंधन के क्षेत्रों में डीएसी द्वारा पहल की गई नई नीतियों के बारे में जानकारी मुहैया करवाना।
- 10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों के जिरए कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कृषि छात्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर के वैज्ञानिकों, कृषि विस्तार अधिकारियों एवं किसानों में कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी मुहैया प्रदान करना।

11. शिकायत निवारण हेतु केंद्रक अधिकारी से संपर्क :

केंद्रक अधिकारी : रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500 030. फोन नं. 040 240 24013346 ; ई-मेल : registrarniphm@nic.in